

पत्रांक-7/चश्मा वितरण-31-01/2017 102(7)0

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 05-12-17

विषय : मांग सं0-20-शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण -0012- महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना विपत्र कोड- 20- 2210061010012 के अन्तर्गत (21-01) सामग्री एवं पूर्तियों इकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹2,23,25,000/- ( दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार) रु. मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटनादेश संख्या-92(7)ब दिनांक-17.10.17 तथा राज्यादेश सं0-1034(10) दिनांक-20.11.2017 के क्रम में विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अंतर्गत (21-01) सामग्री एवं पूर्तियों इकाई में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹2,23,25,000/- ( दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग सं0-20-शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण -0012- महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना विपत्र कोड- 20- 2210061010012 के अन्तर्गत (21-01) सामग्री एवं पूर्तियों मद में आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।


3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाय। इसमें किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित सिविल सर्जन जिम्मेवार होंगे।

7. विभागीय राज्यादेश सं0-1034(10) दिनांक-20.11.2017 में निहित निदेश एवं शर्तों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



8. व्यय विवरणी/ उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए इसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

*सचिव*  
5/12/17  
(सच्चिदानंद चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव  
*बिहार*

ज्ञापक : 102(3)9

पटना, दिनांक : 05-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रिय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवार्यें / संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवार्यें/ प्रशाखा पदाधिकारी-7,10 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

*सचिव*  
5/12/17  
सरकार के विशेष सचिव  
*बिहार*

संबंध की स्थिति

क्रमांक	इकाई	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में कुल आवंटित राशि	वर्तमान में कुल आवंटित राशि	कुल योग	अवशेष
1.	(21-01) सामग्री एवं पूर्तियों	30000000	710594	22325000	23035594	6964406

(दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार) रू0 मात्र

*सचिव*  
5/12/17  
सरकार के विशेष सचिव  
*बिहार*

विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण -0012- महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना विपत्र कोड- 20-2210061010012 जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रम	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	शिवहर	5,87,500/-
2	अरवल	5,87,500/-
3	मुंगेर	5,87,500/-
4	लखीसराय	5,87,500/-
5	शेखपुरा	5,87,500/-
6	किशनगंज	5,87,500/-
7	बक्सर	5,87,500/-
8	बांका	5,87,500/-
9	कटिहार	5,87,500/-
10	सहरसा	5,87,500/-
11	जमुई	5,87,500/-
12	भागलपुर	5,87,500/-
13	सुपौल	5,87,500/-
14	जहानाबाद	5,87,500/-
15	बेगूसराय	5,87,500/-
16	वैशाली	5,87,500/-
17	मधेपुरा	5,87,500/-
18	गोपालगंज	5,87,500/-
19	कैमूर	5,87,500/-
20	अररिया	5,87,500/-
21	सिवान	5,87,500/-
22	भोजपुर	5,87,500/-
23	औरंगाबाद	5,87,500/-
24	मधुबनी	5,87,500/-
25	दरभंगा	5,87,500/-
26	पूर्वी चम्पारण	5,87,500/-
27	पूणियां	5,87,500/-
28	सारण	5,87,500/-
29	रोहतास	5,87,500/-
30	नालंदा	5,87,500/-
31	पश्चिम चम्पारण	5,87,500/-
32	नवादा	5,87,500/-
33	मुजफ्फरपुर	5,87,500/-
34	पटना	5,87,500/-
35	गया	5,87,500/-
36	समस्तीपुर	5,87,500/-
37	सीतामढ़ी	5,87,500/-
38	खगड़िया	5,87,500/-
	कुल योग:-	2,23,25,000/-

(दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार रुपये)

102(अ)अ

05-12-17

सरकार के विशेष सचिव  
विशेष